रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 1999/ज्येष्ठ 29, 1921

No. 306] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 1999/JYAISTHA 29, 1921

महानिदेशक का कार्यालय (रक्षोपाय)

रक्षोपाय जांच प्रारम्भ करने की सूचना

[सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण नियमावली, 1997) के नियम 6 के अधीन]

नई दिल्ली, 16 जून, 1999

विषय : भारत में एसीटोन के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच प्रारम्भ करना।

सा. का. नि. 447(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अधीन हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. (एच ओ सी) और हेरडीलिया केमिकल्स लिमिटेड (एच सी एल) ने भारत में एसीटोन के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को होने वाली गम्भीर क्षति से बचाने के लिए भारत में एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए मेरे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. **घरेलू उद्योग :** एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए घरेलू उत्पादकों की ओर से हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड (एच ओ सी) और हेरडीलिया केमिकल्स लिमिटेड (एच सी एल) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एसीटोन का उत्पादन करने वाले केवल आठ घरेलू उत्पादक हैं जो कि एसीटोन का लगभग पूर्ण घरेलू उत्पादन करते हैं। एसीटोन का उत्पादन जो कि 1998-99 में 42,618 मी. टन था जिसमें आवेदकों द्वारा 41,222 मी. टन का उत्पादन किया गया जो कि घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।

3. **संबद्ध उत्पाद :** आवेदकों ने भारत में एसीटोन के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति होने का आरोप लगाया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2914.11 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आईटीसी) के 29141100 के अधीन वर्गीकृत एसीटोन सीएच$_3$सीओसीएच$_3$ केमिकल फार्मूले के साथ एक मूल आर्गेनिक केमिकल है। शांश्लेषिक एसीटोन का उत्पादन उन्नत तापमान और दबाव पर वायु प्रयोग करते हुए क्यूमिन के आक्सीकरण द्वारा किया जाता है। क्यूमिन का उत्पादन प्रोपिलीन और बेन्जिन के बीच प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। एसीटोन का उत्पादन आइसो प्रोपाइल अलकोहल तथा अलकोहल आधारित माध्यमों द्वारा भी किया जाता है। एसीटोन द्वारा विनिर्मित उत्पादों में इसोफोरेन, डाइएसीटोन अलकोहल, मिथाइल मेथाकिलेट तथा बिसफेनोल-ए तथा कुछ रबर रसायन ओक्सीएटेलीन तथा सेलूलोस एसीटेट शामिल है। एसीटोन का उपयोग पेन्ट्स/कोटिंग में विलायक के रूप में भी किया जाता है।

4. **वर्धित आयात :** भारत में एसीटोन का आयात कनाडा, चीन, चाइनीज ताइपोई, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, जापान, कोरिया, डी पी आर, कोरिया आर पी, नीदरलैंड, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिणी अफ्रीका, यू. के. और यू. एस. ए. से होता है। आयात में स्थिर रूप में और साथ ही साथ घरेलू

उत्पादन की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई। एसीटोन का आयात और घरेलू उत्पादन 1994-95 से 1998-99 के दौरान निम्नानुसार रहा :

वर्ष	घरेलू उत्पादन (मी. टन)	आयात (मी. टन)	घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात का प्रतिशत
1994-95	42732	9046	21.17
1995-96	49556	18519	37.37
1996-97	39284	26228	66.77
1997-98	44261	16866	38.11
1998-99	42618	28870	67.74

5. **क्षति :** एसीटोन के वर्धित आयात से एसीटोन के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति होने की आशंका है जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों द्वारा दर्शाया गया है।

(क) **उत्पादन :** घरेलू उत्पादन जो कि 1996-97 में 39284 मी. टन था 1997-98 में बढ़कर 44261 मी. टन हो गया था, वही उत्पादन 1998-99 में घटकर 42618 मी. टन रह गया।

(ख) **क्षमता उपयोगिता :** घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादकों की क्षमता उपयोगिता 1996-97 में 56% से बढ़कर 61% हो गई थी, वह घटकर 1998-99 में 57% रह गई।

(ग) **घरेलू उत्पादकों का घरेलू खपत में अंश (शेयर) :** एसीटोन के कुल घरेलू खपत में एसीटोन के घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा जो 1996-97 तथा 1997-98 में 68% था वह 1998-99 में जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है, घटकर 59.21 प्रतिशत रह गया। घरेलू उत्पादक बाजार में उनके इस गिरते हुए अंश को तभी संभाल सके जब उन्होंने अपनी औसत कीमत मार्च 1998 में 28/- रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर मार्च 99 में 18 रुपए प्रति कि. ग्रा. कर दी जो कि विक्रय मूल्य में 36% गिरावट है जिसने उनके लाभ को भारी क्षति पहुंचाई।

वर्ष	घरेलू बिक्री (विमोहित उपभोग सहित)	आयात सहित कुल घरेलू उपभाग	घरेलू खपत में घरेलू उत्पादन का शेयर (2/3 x 100%)
1	2	3	4
1996-97	39881	58664	67.98
1997-98	43601	64882	67.20
1998-99	43329	73173	59.21

6. घरेलू उत्पादकों ने एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने तत्काल अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए भी प्रार्थना की है।

7. आवेदन का परीक्षण किया गया है और यह पाया गया है कि एसीटोन के वर्धित आयात से एसीटोन के घरेलू उत्पादकों को प्रथमदृष्टया, गम्भीर क्षति होने की आशंका है और तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

8. सभी इच्छुक पक्ष अपने दृष्टिकोण से 26 जुलाई, 1999 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा दें।

महानिदेशक (रक्षोपाय),
पंचम तल, डी ब्लॉक,
इन्द्रप्रस्थ भवन, आई पी इस्टेट,
नई दिल्ली-110002
भारत

9. सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है।

10. जांच के लिए कोई अन्य पक्ष जो कि इच्छुक पक्ष के रूप समझे जाने का इच्छुक हो, अपना अभ्यावेदन इस नोटिस तिथि के 21 दिन के अन्दर महानिदेशक (रक्षोपाय) को प्रेषित कर दें।

[फा. सं. एस. जी./आई एन वी/1/99]
आर. के गुप्ता, महानिदेशक (रक्षोपाय)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

New Delhi, the 16th June, 1999

Sub : Initiation of Safeguard Investigation concerning imports of Acetone into India.

G.S.R. 447(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOC) and Herdillia Chemicals Ltd. (HCL) for imposition of Safeguard Duty on imports of Acetone into India to protect the domestic producers of Acetone against serious injury caused by the increased imports of Acetone into India.

2. **Domestic Industry** – The application has been filed by Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOC) and Herdillia Chemicals Ltd. (HCL) on behalf of the domestic producers of Acetone for imposition of Safeguard Duty on imports of Acetone. There are eight domestic producers of Acetone accounting for a total production of 42,618 MT of Acetone in 1998-99, out of which the applicants produced 41,222 MT which constitutes a major proportion of the domestic production.

3. **Product Involved** – The applicants have alleged serious injury caused to the domestic producers by the increased imports of Acetone into India. Acetone classified under Sub-heading No. 2914.11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and under 29141100 of the Indian Trade Classification (ITC), is a basic organic chemical with chemical formula CH_3COCH_3. The applicants produce Acetone by the oxidation of Cumene using air at elevated temperatures and pressures. Cumene is produced by the reaction between Propylene and Benzene. Acetone is also manufactured through Isopropyl Alcohol and Alcohol based routes. Acetone is used in numerous organic synthesis, either as an intermediate or as solvent. The chemicals manufactured from Acetone include Isophorone, Diacetone Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol-A, certain Rubber Chemicals, Oxyacetylene and Cellulose Acetate. Acetone is also used as a solvent in the manufacture of Paints / Coatings.

4. **Increased Imports** – Acetone is imported into India from Canada, China, Chinese Taipei, France, Finland, Germany, Japan, Korea DPR, Korea RP, The Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, United Kingdom and United States of America. The imports have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to domestic production. The imports and domestic production of Acetone during 1994-95 to 1998-99 have been as under :-

Year	Domestic Production (MT)	Imports (MT)	Imports as %age of Domestic Production
1994-95	42732	9046	21.17
1995-96	49556	18519	37.37
1996-97	39284	26228	66.77
1997-98	44261	16866	38.11
1998-99	42618	28870	67.74

5. **Injury** – The increased imports of Acetone have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Acetone as indicated by the following factors :-

(a) Production – The domestic production which increased from 39,284 MT in 1996-97 to 44,261 MT in 1997-98 has declined to 42,618 MT in 1998-99.

(b) Capacity Utilisation – The capacity utilisation of domestic producers which increased from 56% in 1996-97 to 61% in 1997-98 has declined to 57% in 1998-99.

(c) Share of Domestic Producers in Domestic Consumption – The market share of domestic producers of Acetone in the total domestic consumption of Acetone, which was about 68% in 1996-97 and 1997-98 has declined to 59.21% in 1998-99 as indicated from the table below. The domestic producers have been able to retain this reduced market share only at the cost of reduction of their sales price from Rs. 28 per kg in March, 1998 to Rs. 18 per kg in March, 1999 i.e. a decline of about 36% in the sale price which has seriously affected their profitability.

Year	Domestic sales (including captive consumption)	Total domestic consumption including imports	Share of domestic production in domestic consumption (2/3 X 100%)
1	2	3	4
1996-97	39881	58664	67.98
1997-98	43601	64882	67.20
1998-99	43329	73173	59.21

6. The domestic producers have requested for imposition of Safeguard Duty on imports of Acetone. They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard Duty.

7. The application has been examined and it appears that prima facie increased imports of Acetone have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Acetone and accordingly it has been decided to initiate an investigation through this notice.

8. All interested parties may make their views known by 26th July, 1999 to :-

The Director General (Safeguards),
5th Floor, Drum Shape Building,
I.P. Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi – 110 002,
India.

9. All known interested parties are also being addressed separately.

10. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its representation so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.

[F. No. SG/INV/1/99]
R. K. GUPTA, Director General (Safeguard)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054